

1. **प्रथम दृष्ट्या मामला :-** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों एवं वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त अविभाजित उभयपक्षकारान की सहखातेदारी भूमि है। तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया है जो कि न्यायालय हाजा में जैरकार है। मूल वादपत्र के मुख्य अनुतोष पर गुणावगुण के आधार पर कोई टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के सम्बन्ध में जब तक सहखातेदारान् के हक हिस्सों का कानूनन विभाजन नहीं हो जाता तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि वादग्रस्त आराजी में से किस सहखातेदार का कौनसा भू भाग है तथा साथ ही संयुक्त अविभाजित वादग्रस्त आराजी के प्रत्येक भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का हक-हिस्सा निहित होता है। ऐसी दशा में किसी प्रकार का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में स्थापित नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलन :-** चूंकि पूर्व विवचेन बिन्दु संख्या 01 प्रार्थीगण के विरुद्ध स्थापित हुआ है साथ ही वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान् की सहखातेदारी भूमि होने के कारण केवल प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन साबित नहीं हो सकता। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थी के विरुद्ध स्थापित होता है।

3. **अपूर्णनीय क्षति :-** चूंकि पूर्वविवेचित दोनो बिन्दु प्रार्थी के विरुद्ध स्थापित हुये है साथ ही प्रार्थी यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहें है कि यदि उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती हैं तो उन्हें किसी प्रकार अपूर्णीय क्षति होना सम्भावित है। जबकि वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान् की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरुद्ध स्थापित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदुवार विवचेन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रविप्रकाश RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जेतारण
उपखण्ड कलक्टर जेतारण
(जिला-ब्यावर)

दिनांक 03/04/2025 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी जेतारण
उपखण्ड कलक्टर एवं पदेन
(जिला-ब्यावर)
सहायक कलक्टर, जेतारण (ब्यावर)

